संख्या-6/2020/3/2020/781/84-1-2020-18ब0मा0/2012टी0सी0

प्रेषक,

प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0 लखनउ

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपलब्ध प्रावधान के सापेक्ष बचत को राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन के संचालन हेतु रू0 30.00 लाख का पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-253/निविमवि-लेखा 7(25)मांग /2020-21, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विधिक माप विज्ञान विभाग में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-21 के लेखा शीर्षक 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-106-भार और माप का विनियमन-03 अधिष्ठान व्यय की मानक मद-''01-वेतन मद में उपलब्ध धनराशि मे हो रही बचत मे से अनुदान संख्या 21 के लेखा 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन-42-अन्य व्यय'' में रू0 30.00 (रू0 तीस लाख मात्र) का आवंटन संलग्न बी0एम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग कर व्यय करने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदया निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करती हैं।

1- विभाग द्वारा समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- बचत की धनराशि विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

3- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

4- जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

5- विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

6- विभाग द्वारा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-134/ई-सात/दस-2020, दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त
अनु सचिव।

संख्या-3/2020/781/84-1-2020-18ब0मा0/2012टी0सी0-तदद्दिनॉक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- वरिष्ठ, कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनउ।
5- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनउ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनउ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1।

आज्ञा से,

(प्रेमेन्द्र कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।